5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

[illegible]

(89)

(51)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0 प्र0

निगरानी 2516-I-15

दुर्जनलाल तनय स्व॰श्री परमानंद चौरसिया
निवासी सिद्धबाबा हवेली रोड़ टीकमगढ
तह॰व जिला टीकमगढ म0 प्र0

.......निगराकार

बनाम

1॰श्रीमति रजनी पत्नी विमलेश चौरसिया
निवासी सिद्धबाबा की हवेली रोड टीकमगढ
तह॰ व जिला टीकमगढ म0 प्र0

2॰महिला रमकू पत्नी मकुन्दी कुशवाहा
निवासी तालदरवाजा टीकमगढ तह॰ व जिला टीकमगढ म॰प्र॰

3॰म0 प्र0 शासन

....प्रतिनिगराकार

B.O.R.

2 JUL 2015

213
020715

श्री ...

कार्यालय कलेक्टर, सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.)

दिनांक 15-7-15

15-7-15

निगरानीराजस्व प्रकरण क्रमांक- 20/अ-12/2013-14 आदेश दिनांक 14/5/2014 अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक टीकमगढ के आदेश से व्यथित होकर:-

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰ भू- राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगराकार सादर निम्न प्रकार विनयी है :-

§1§ यह कि प्रकरण कासंक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रतिनिगराकार क्र॰1 द्वारा भूमि खसरा क्र॰ 1885 लगायत 1892 रकबा 0•511 हे॰के सीमांकन किए जाने हेतु राजस्व निरीक्षक टीकमगढ के पास आवेदन पेश किया था । राजस्व निरीक्षक टीकमगढ द्वारा भूमि का सीमांकन किए जाने हेतु नोटिस जारी किए गए लेकिन निगराकार को नोटिस प्राप्त नही हुआ है नोटिस पर निगराकार के पुत्र महेश के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से बनाये गये है ।लेकिन फिर भी निगराकार के द्वितीय पुत्र अशोक को सीमांकन की जानकारी प्राप्त हुई थी तथा वह मौके पर

दुर्जनलाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2516–एक/2015 **जिला–टीकमगढ**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–9–2015	आवेदक की ओर से श्री राजेश जैन अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है । प्रकरण में मुख्य बिवाद सीमांकन से संबंधित है जिसके बाद धारा 250 की कार्यवाही उत्पन्न हुई होना निगराकार द्वारा बताया गया है । आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा उपलब्ध [illegible] अभिलेखों का अवलोकन किया गया । प्रकरण में यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु उसके सूचना पत्र पर प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त सीमांकन कार्यवाही के समय भी निगराकार के हस्ताक्षर नहीं हैं, हालांकि निगराकार का पुत्र अशोक निगराकार के निगरानी मेमों के अनुसार सीमांकन के समय मौके पर उपस्थित था । निगरानी मेमों में निगराकार द्वारा यह लेख किया गया है कि मौके पर बिवाद होने के कारण राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा "पुनः सीमांकन होगा" ऐसा कह कर उस दिन मौके की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी, किन्तु बाद में घर बैठकर फर्जी तरीके से दिनांक–14.5.14 को सीमांकन पारित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक– 7.5.15 को निगराकार को धारा 250 का नोटिस मिला, जब निगराकार को सीमांकन हो चुका होने की जानकारी मिली, एवं उन्होने यह निगरानी दायर की । मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं तर्को पर विचार किया गया जिसके परिणामस्वरूप मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि निगराकार जो अनावेदक गण का सीमावर्ती कृषक है को नोटिस एवं उपस्थित रहने का मौका दिए बगैर की गयी सीमांकन की कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि निगराकार सहित समस्त हितबद्ध पक्षकारों एवं समस्त सरहदी कृषकों को सूचना देकर तथा उनकी उपस्थिति में, सीमांकन की कार्यवाही विधिवत पूर्ण की जावे। यदि मौके पर बिवाद रोकने के लिए [illegible] पुलिस की आवश्यकता हो तो उसका इन्तजाम पहले से रखा जाये । आवश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर रहें । इस प्रकार सीमांकन की पुनः कार्यवाही पूर्ण किए जाने तक संहिता की धारा 250 के तहत की जा रही कार्यवाही को स्थगित किया जाता है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की जावे । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । सदस्य	